नकल आदेश दिनांक 07/08/2021, धारा-80, 0

T202114360304150, ग्राम कुरनी, परगना ग,

तहसील-मछलीशहर, आर० बी० एस० कालेज आ

जरिये प्रबंधक शशिकांत सिंह बनाम ग्रामसभा -

उपजिलाधिकारी मछलीशहर जौनपुर नि० दि० 07/

दामा

MANAGER
R B S College Of Pharmacy
Kurani, Samadhganj
Jaunpur

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद सख्या :-4150/2021
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202114360304150
आर०बी०एस० कालेज ऑफ एजुकेशन जरिये प्रबन्धक शशिकांत सिंह बनाम ग्रामसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मैने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत अनुशीलन किया। संक्षिप्त में विवाद का स्वरूप इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा ग्राम कुरनी, परगना मड़ियाहूं, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर स्थित गाटा संख्या 425/0.166, 426/0.036, 427/0.036, 420क/0.040, 420ख/0.028, 421ख/0.020, 421घ/0.049, 409क/0.101, 409घ/0.101 409ग/0.271, 428/0.049, 429/0.036, 432/0.020 तथा 433/0.016 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.969 हे0 अकृषिक घोषित किये जाने हेतु धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार से नियमानुसार आख्या आहूत किया गया, जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार की आख्या दिनांक 04.08.2021 द्वारा संस्तुति सहित स्पष्ट किया गया है कि वादीगण द्वारा ग्राम कुरनी, परगना मड़ियाहूं, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर स्थित गाटा संख्या 425/0.166, 426/0.036, 427/0.036, 420क/0.040, 420ख/0.028, 421ख/0.020, 421घ/0.049, 409क/0.101, 409घ/0.101. 409ग/0.271, 428/0.049, 429/0.036, 432/0.020 तथा 433/0.016 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.969 हे0 में कालेज अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है, जो अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त है, जिसका व्यवसायिक/गैर कृषिक घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विवादित क्षेत्रफल का गैर–कृषिक घोषणा करने की संस्तुति की गयी है। आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है स्थित गाटा संख्या 425/0.166, 426/0.036, 427/0.036, 420क/0.040, 420ख/0.028, 421ख/0.020, 421घ/0.049, 409क/0.101, 409घ/0.101 409ग/0.271, 428/0.049, 429/0.036, 432/0.020 तथा 433/0.016 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.969 हे0 में कालेज अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है, जो अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त है। वादीगण द्वारा विवादित क्षेत्रफल 0.969 हे0 के मुल्यांकन मु0 रू0 5800–00 प्रति एअर की दर से मू0 5620200-00 रू0 होता है, जिसका 1 प्रतिशत रू0 56,202-00 होता है, जो उद्घोषणा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में चालान संख्या HS00004 द्वारा दिनांक 05.08.2021 को जमा किया गया तथा 1 प्रतिशत न्यायशुल्क के रूप में रू0 रू0 56,202-00 का न्यायिक स्टाम्प दाखिल किया गया है। वादी द्वारा शपथ पत्र, नजरीनक्शा एवं प्रधान द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि प्रपत्र पत्रावली में दाखिल किया गया है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है, कि विवादित गाटा व्यवसायिक/गैर–कृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त है, निर्धारित शुल्क जमा/दाखिल किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार की आख्यानुसार विवादित गाटा का गैर–कृषिक/व्यवसायिक प्रयोजन घोषित किया जाना न्यायोचित है।

PTO

MANAGER
R B S College Of E.
Kurani, Samadhganj
Jaunpur

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद सख्या :-4150/2021
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202114360304150
आर०बी०एस० कालेज ऑफ एजुकेशन जरिये प्रबन्धक शशिकांत सिंह बनाम ग्रामसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर ग्राम कुरनी, परगना मड़ियाहूं, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर स्थित गाटा संख्या 425/0.166, 426/0.036, 420क/0.040, 420ख/0.028, 421ख/0.020, 421घ/0.049, 409क/0.101, 409घ/0.101, 409ग/0.271, 427/0.036, 428/0.049, 429/0.036, 432/0.020 तथा 433/0.016 हे0 अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त होने के कारण कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त गैर कृषिक घोषित किया जाता है। मुताबिक परता लगान निरस्त हो। विवादित गाटा के भौमिक स्थिति के सम्बंध में इसके विपरीत कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि वादी इस उद्घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन घोषणा व्यपगत हो जायेगी। आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार/उपनिबंधक मछलीशहर को आवश्यक कार्यवाही/अभिलेखों में प्रख्यापन हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

7/8/21

(अंजनी कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,
मछलीशहर, जौनपुर।

सत्यप्रतिलिपि
आशुलिपिक
SDM (MSH)
07/08/2021

07/08/2021

MANAGER
R B S College Of Pharmacy
Kurani, Samadhganj
Jaunpur